

पड़ताल

कस्टम मिलिंग और स्टॉक सत्यापन से जुड़े विभिन्न पहलुओं की पड़ताल

गोपनीय जांच से मचा हड़कंप, चावल घोटाले में एफसीआई की दूसरी दस्तक

नवभारत, बालाघाट। बालाघाट में सरकारी चावल की कथित हेराफेरी का मामला अब महज अनियमितता नहीं, बल्कि एक संभावित संगठित नेटवर्क की जांच का विषय बनता जा रहा है। भारतीय खाद्य निगम की चार सदस्यीय टीम ने जिले में पहुंचकर सात राइस मिलों का दोबारा भौतिक सत्यापन किया है। उल्लेखनीय है कि लगभग 12 दिन पहले भी इसी प्रकार का सत्यापन किया गया था। ऐसे में कम अंतराल में हुई दूसरी जांच ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं।

सूत्रों के अनुसार, यह जांच एथेनॉल उत्पादन के लिए आवंटित चावल के उपयोग, कस्टम मिलिंग और स्टॉक सत्यापन से जुड़े विभिन्न पहलुओं की पड़ताल के उद्देश्य से की जा रही है। हालांकि एफसीआई अधिकारियों ने इसे नियमित प्रक्रिया बताया है।

जानकारी के अनुसार, एफसीआई भोपाल की टीम ने जिले की सात राइस मिलों का निरीक्षण कर स्टॉक, मिलिंग और रिकॉर्ड का सत्यापन किया। कम

समय में दोबारा हुई जांच को लेकर स्थानीय स्तर पर कई तरह की चर्चाएं हैं।

सूत्रों का दावा है कि कलेक्टर स्तर पर हुए पत्राचार के बाद जांच की प्रक्रिया और तेज हुई है। सूत्रों के मुताबिक जांच में निम्न बिंदुओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है—एफसीआई अधिकारियों एवं कर्मचारियों की भूमिका, कस्टम मिलिंग से जुड़े रिकॉर्ड, फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति, एथेनॉल प्लांट तक भेजे गए चावल का सत्यापन, गोदामों से जारी रिकॉर्ड एवं गुणवत्ता जांच प्रक्रिया, हालांकि इन बिंदुओं की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। इधर, मामले की जांच कर रही विशेष जांच टीम ने भी कार्रवाई तेज कर दी है। सूत्रों के अनुसार, बुधवार को पांच लोगों से पूछताछ की गई, जिनमें राइस मिलर, उनके परिजन, सुपरमाइजर और मुनीम शामिल बताए जा रहे हैं। पुलिस ने अब तक हिरासत या गिरफ्तारी की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। बताया जा रहा है कि जांच का दायरा मध्य प्रदेश से बाहर अन्य राज्यों तक भी बढ़



सकता है।

हालांकि इसकी भी आधिकारिक पुष्टि शेष है। सूत्रों के अनुसार, मामले से जुड़े कुछ प्रभावशाली कारोबारी परिवारों में कानूनी गतिविधियां तेज हुई हैं। अग्रिम जमानत के प्रयास और पूछताछ को लेकर चर्चाएं जारी हैं। हालांकि संबंधित व्यक्तियों

के विरुद्ध किसी नई कार्रवाई की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

इंटर-स्टेट नेटवर्क की भी जांच?

सूत्रों के अनुसार, जांच एजेंसियां महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ से जुड़े संभावित कारोबारी संबंधों को भी पड़ताल कर रही हैं। कुछ वेंयरहाउस संचालकों एवं संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किए जाने की भी चर्चा है। हालांकि संबंधित एजेंसियों की ओर से इस संबंध में कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है।

पेपर लीक और सोनम वांगचुक के समर्थन में आप का हल्ला बोल

शहर में निकाली जाएगी रैली, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग

नवभारत, बालाघाट। देशभर में लगातार सामने आ रहे पेपरलीक मामले और वैज्ञानिक सोनम वांगचुक को जबरन हॉस्पिटल में रखे जाने के विरोध में आम आदमी पार्टी द्वारा 19 जुलाई को प्रदेशव्यापी आंदोलन किया जा रहा है। इसी कड़ी में आप पार्टी जिला बालाघाट इकाई द्वारा भी

19 जुलाई रविवार को शहर मुख्यालय के हनुमान चौक से कालीपुतली चौक तक विशाल विरोध मार्च निकाला जाएगा।

आम आदमी पार्टी द्वारा विज्ञापित जारी कर बताया गया कि नीति सहित देश में 80 से अधिक परीक्षाओं में हुए पेपरलीक से करोड़ों युवाओं का भविष्य अंधकार में है। इसके साथ ही दिल्ली के जंतर-मंतर पर अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठे शिक्षाविद् सोनम वांगचुक को सरकार द्वारा अपमानजनक तरीके से जबरन उठाकर

हॉस्पिटल में रखने पर आप पार्टी द्वारा पूरे प्रदेश में विरोध किया जाएगा।

पार्टी के पदाधिकारियों ने बताया कि विरोध प्रदर्शन रविवार को हनुमान चौक में सभी कार्यक्रमों शाम 4 बजे से एकजुट होंगे। शाम 5 बजे हनुमान चौक से रैली निकाली जाएगी। विरोध मार्च की शुरुआत गांधी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया जाएगा। यह रैली हनुमान चौक से होते हुए शहर के प्रमुख मार्गों का भ्रमण करते हुए कालीपुतली चौक पहुंचेगी।

25 को बालाघाट से मथुरा-वृंदावन के लिए रवाना होगी विशेष ट्रेन

नवभारत, बालाघाट। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत बालाघाट जिले के वरिष्ठ नागरिकों को मथुरा-वृंदावन की तीर्थ यात्रा कराने के लिए 25 जुलाई को बालाघाट रेलवे स्टेशन से विशेष रेलगाड़ी रवाना होगी। इस यात्रा के लिए जिले के 191 तीर्थ यात्रियों का चयन किया गया है। चयनित यात्रियों की सूची आईआरसीटीसी भोपाल भेज दी गई है।

जिला प्रशासन ने चयनित तीर्थ यात्रियों से अपील की है कि वे 25 जुलाई को निर्धारित समय पर अपने स्वयं के साधनों से बालाघाट

रेलवे स्टेशन पहुंचें, ताकि समय पर उनकी उपस्थिति दर्ज कर यात्रा की आवश्यक औपचारिकताएं पूरी की जा सकें और विशेष ट्रेन निर्धारित समय पर रवाना हो सके।

यात्रा के दौरान तीर्थ यात्रियों को सुविधा एवं सुरक्षा के लिए चार अनुरक्षक, पांच सुरक्षाकर्मी, एक चिकित्सक तथा एक फार्मासिस्ट सहायक की नियुक्ति की गई है। ये सभी यात्रा के दौरान यात्रियों को आवश्यक सहायता एवं स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराएंगे।

निर्धारित कार्यक्रम के

अनुसार तीर्थयात्री 25 जुलाई को बालाघाट से रवाना होकर मथुरा-वृंदावन के प्रमुख धार्मिक स्थलों के दर्शन करेंगे और 28 जुलाई को वापस बालाघाट लौटेंगे।

इस विशेष रेलगाड़ी में बालाघाट जिले के 191 तीर्थ यात्रियों के अलावा मंडला एवं जबलपुर जिले के चयनित श्रद्धालु भी यात्रा करेंगे। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के माध्यम से वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क तीर्थ यात्रा का अवसर प्रदान किया जा रहा है, जिससे वे प्रमुख धार्मिक स्थलों के दर्शन कर सकें।



चिकित्सा जगत में बालाघाट का मान : डॉ .बीएम शरणागत को मिला प्रतिष्ठित आईएमए लीडरशिप अवॉर्ड- 2026



नवभारत, बालाघाट। बालाघाट जिले के चिकित्सा जगत के लिए आज का दिन अत्यंत गौरवपूर्ण रहा। जिले के वरिष्ठ और अनुभवी चिकित्सक, डॉ. बी.एम. शरणागत को स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में उनके असाधारण योगदान और अनुकरणीय नेतृत्व के लिए

इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के प्रतिष्ठित ‘लीडरशिप अवॉर्ड-2026’ से सम्मानित किया गया है। यह गरिमामयी पुरस्कार समारोह डॉक्टरस डे के उपलक्ष्य में आज, 18 जुलाई 2026 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया।

मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने अपने कर-कमलों से डॉ. शरणागत को यह राष्ट्रीय सम्मान प्रदान किया। इस दौरान देश भर के प्रख्यात चिकित्सक और स्वास्थ्य विशेषज्ञ मौजूद थे।

डॉ. बी.एम. शरणागत को यह प्रतिष्ठित पुरस्कार उनकी दशकों की लंबी चिकित्सा यात्रा, मरीजों के प्रति अटूट सेवा भाव, समाज के अंतिम छोर तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने के प्रयासों और चिकित्सा क्षेत्र में उनके कुशल नेतृत्व के लिए दिया गया है। अपनी प्रतिक्रिया देते हुए डॉ. शरणागत ने इस सम्मान को अपने मरीजों, जिले के स्वास्थ्य विभाग की टीम और अपने शुभचिंतकों को समर्पित किया है। उन्होंने कहा कि यह पुरस्कार उन्हें भविष्य में और भी अधिक निष्ठा के साथ मानवता की सेवा करने के

प्रदान किया। इस दौरान देश भर के प्रख्यात चिकित्सक और स्वास्थ्य विशेषज्ञ मौजूद थे।

डॉ. बी.एम. शरणागत को यह प्रतिष्ठित पुरस्कार उनकी दशकों की लंबी चिकित्सा यात्रा, मरीजों के प्रति अटूट सेवा भाव, समाज के अंतिम छोर तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने के प्रयासों और चिकित्सा क्षेत्र में उनके कुशल नेतृत्व के लिए दिया गया है। अपनी प्रतिक्रिया देते हुए डॉ. शरणागत ने इस सम्मान को अपने मरीजों, जिले के स्वास्थ्य विभाग की टीम और अपने शुभचिंतकों को समर्पित किया है। उन्होंने कहा कि यह पुरस्कार उन्हें भविष्य में और भी अधिक निष्ठा के साथ मानवता की सेवा करने के

लिए प्रेरित करेगा। डॉ. शरणागत की इस उपलब्धि की खबर जैसे ही बालाघाट पहुंची, चिकित्सा समुदाय और जिले के नागरिकों में खुशी की लहर दौड़ गई। सोशल मीडिया और व्यक्तिगत रूप से उन्हें बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। जिले के प्रबुद्ध नागरिकों और चिकित्सा संगठनों ने इसे बालाघाट के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। उनका मानना है कि एक छोटे शहर से निकलकर राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाना न केवल डॉ. शरणागत के लिए बल्कि और मेहनत का परिणाम है, बल्कि यह पूरे जिले के स्वास्थ्य तंत्र के लिए गौरव का विषय है।

26 वर्ष पुरानी धारा 49(6) की व्यवस्था समाप्त होने पर पेंशनरों में हर्ष

नवभारत, बालाघाट। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लगभग 7 लाख से अधिक पेंशनरों को महंगाई राहत में वृद्धि के लिए अब दोनों राज्यों को एक दूसरे की सहमति नहीं लेनी होगी। 26 साल पुरानी सहमति की अनिवार्यता संबंधी व्यवस्था समाप्त करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं, जो आदेश जारी दिनांक 17 जुलाई 2026 से ही प्रभावशील माने जाने के वित्त विभाग के आदेश से पेंशनरों में हर्ष व्याप्त है।

वरिष्ठ नागरिक पेंशनर एसोसिएशन मध्य प्रदेश भोपाल के प्रांतीय अध्यक्ष एडवोकेट राजकुमार दुबे ने शासन के इस निर्णय पर आभार व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव को धन्यवाद ज्ञापित किया है। वरिष्ठ प्रांतीय उपाध्यक्ष एवं संभागीय अध्यक्ष राजेश जोशी, वरिष्ठ



प्रांतीय उपाध्यक्ष एवं मीडिया प्रभारी भगवती प्रसाद पंडित, जिला अध्यक्ष इंदौर नरेंद्र सिंह ठाकुर ने धारा 49(6) के नाम पर लादी गई आपसी सहमति के प्रावधान की व्यवस्था को हटाने के लिए कई बार धरना-प्रदर्शन और जापन प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री के साथ ही प्रशासनिक अधिकारियों के समक्ष पुरजोर तरीके से उठाई थी। धारा 49(6) की इस व्यवस्था

को एसोसिएशन ने सर्वोच्च प्राथमिकता के क्रम में रखा था। आज शासन द्वारा 26 वर्ष से बनाई गई काल्पनिक व्यवस्था को दोनों राज्यों ने आपसी सहमति से ‘सहमति’ लेने की इस अव्यहारिक प्रथा समाप्त कर पेंशनरों के हित में बड़ा निर्णय लिया है। इस हेतु वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री मनीष रस्तोगी एवं यशस्वी मुख्यमंत्री मोहन यादव का आभार मानते हुए धन्यवाद ज्ञापित किया है।

वरुण देव घंचले पर भ्रष्टाचार के आरोप, 1.50 करोड़ की अनियमितता का मामला जांच में अटका

नवभारत, खैरलांजी। जनपद पंचायत शिक्षा केन्द्र खैरलांजी में पदस्थ लेखापाल वरुणदेव घंचले पर वित्तीय अनियमितता और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप सामने आए हैं। आरोप है कि खैरलांजी क्षेत्र की लगभग 65 स्कूलों से करीब 1.50 करोड़ रुपये की राशि में गड़बड़ी की गई है। इस संबंध में ग्राम कुहली निवासी शरद कुमार पाण्डेय जो छोटे अन्ना हजारे के नाम से जाने जाते हैं उनके द्वारा सूचना का अधिकार

अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत जानकारी मांगी गई थी। आवेदक ने उक्त मामले की जांच रिपोर्ट और कार्रवाई की स्थिति जानने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया था। प्राप्त जानकारी के अनुसार, मामले की जांच के लिए संयुक्त जांच दल गठित किया गया था, लेकिन एक वर्ष बीत जाने के बावजूद आज तक जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है। इससे पूरे मामले में संदेह की स्थिति बनी हुई है।

वही दूसरी ओर, जिला पंचायत की बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) द्वारा यह कहा गया कि संबंधित लेखापाल के खिलाफ कोई अपराध सिद्ध नहीं हुआ है। ऐसे में यह सवाल खड़ा हो रहा है कि जब जांच अभी तक पूरी नहीं हुई है, तो जेल चिट किस आधार पर दी गई है। जिला पंचायत के कुछ सदस्यों द्वारा भी मामले को लेकर अलग-अलग बयान सामने आए हैं, जिससे स्थिति और अधिक भ्रमि हो

गई है। शिकायतकर्ता ने प्रशासन से मांग की है कि मामले की निष्पक्ष जांच कर जल्द कार्रवाई की जाए। कार्यवाही नहीं होने पर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने के बात कही उन्होंने यह भी कहा है कि यदि उनकी शिकायत असत्य पाई जाती है, तो जेल जाने को तैयार हैं। फिलहाल इस पूरे मामले में प्रशासन की ओर से स्पष्ट स्थिति सामने नहीं आने से प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर प्रश्नचिह्न लग रहे हैं।

नशा तन, मन और धन नष्ट करता है : शबाना खान

तिरोड़ी में विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित नशामुक्ति की दिलाई शपथ

नवभारत कटंगी 18 जुलाई। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बालाघाट के अध्यक्ष प्रणेश कुमार प्राण और सचिव सतीश शर्मा के मार्गदर्शन में शनिवार को ग्राम पंचायत तिरोड़ी में विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।

इसमें व्यवहार न्यायालय कटंगी की न्यायिक मजिस्ट्रेट/अध्यक्ष तहसील विधिक सेवा समिति सुश्री शबाना खान की अध्यक्षता में ग्राम पंचायत भवन तिरोड़ी में आयोजित किया



गया।

यह कार्यक्रम नशा मुक्ति अभियान के अंतर्गत रखा गया था। अपने संबोधन में शबाना खान ने कहा कि नशा एक घातक बीमारी है, जो व्यक्ति के तन, मन और धन दोनों को नष्ट कर देती है। यह सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं बल्कि पूरे परिवार को बर्बादी की कगार पर ला खड़ा करता है।

देश का विकास होता है बाधित उन्होंने कहा कि आज शराब, गुटखा, स्मैक और ड्रग्स का सेवन तेजी से बढ़ रहा है। नशे की लत में ईंसान सही-गलत का फर्क भूल जाता है जिससे अपराध बढ़ते हैं और समाज का माहौल दूषित होता है। ‘किसी भी देश का भविष्य युवा होते हैं अगर युवा नशे की गिरफ्त

में आ गए तो राष्ट्र का विकास कैसे होगा।

नशा मुक्ति के लिए सबसे जरूरी है जागरूकता

उन्होंने कहा कि नशा मुक्ति के लिए सबसे जरूरी जागरूकता है। नशे में फंसे लोगों से नफरत नहीं कर उन्हें सही मार्गदर्शन और इलाज के लिए नशा मुक्ति केंद्र तक पहुंचाने में मदद करनी चाहिए। कार्यक्रम के अंत में उपस्थितों को नशा नहीं करने की शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम को सफल बनाने में समीर बिसेन, हितेन्द्र कुमार गढ़पाल, मुरलीधर गौतम, सनूप उईके, देवेन्द्र ठाकरे आदि का सहयोग रहा।

निरीक्षण

गुणवत्ताहीन खाद्य पदार्थों के विरुद्ध जिले में लगातार कार्यवाही

सावजी भोजनालय में पड़ा खाद्य विभाग का छापा

नवभारत, बालाघाट। प्रदेश के मुखिया के निर्देशानुसार जिले के कलेक्टर के आदेश पर खाद्य सुरक्षा प्रशासन द्वारा निरंतर और स्वच्छ खाद्य एवं गुणवत्ताहीन खाद्य पदार्थों के विरुद्ध जिले में लगातार कार्यवाही की जा रही है।

इसी क्रम में खाद्य सुरक्षा प्रशासन विभाग को अनेक प्रतिष्ठानों की शिकायत प्राप्त होने पर गरा बालाघाट स्थित सावजी भोजनालय की अचानक की जांच की गई। इस जांच के दौरान खाद्य सुरक्षा प्रशासन द्वारा जारी पंजीयन तो पाया गया। किंतु किचन एवं परिसर के निरीक्षण के दौरान अस्वच्छ परिस्थितियां पाई गईं। जिसमें किचन एवं धुलाई क्षेत्र के दीवार एवं फर्श टूटी-फूटी पाई गईं मक्खियां भिन्नभिन्नती पाई गईं एवं खरखराव अस्त व्यस्त साथ ही



अनहाइजीनिक पाया गया।

इन सब परिस्थितियों के कारण खाद्य सुरक्षा एवं मानव अधिनियम के उल्लंघन में प्रकरण बनाया गया।

इसी प्रकार जैन बेकरी की

शिकायत प्राप्त होने पर जांच की गई जहां विभिन्न प्रकार के रसायन रंग आदि संबंधी शिकायत थी कार्रवाई करते हुए डोनट, इंफ्रवर, एनहांसर आदि के नमूने जांच हेतु दिए गए एवं प्रयोगशाला भेजे गए

हैं। रिपोर्ट प्राप्ति के पश्चात अधिनियम के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। इस कार्यवाही के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी योगेश कुमार डोंगरे एवं गीता ताहडे का द्वारा की गई।